न्यायालय–सुश्री आयुषी मित्तल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना (मध्य–प्रदेश)

[निर्णय दिनांक 08.07.2025]

नियमित आपराधिक प्रकरण क्र. :– SCNIA/120/2019
फाइलिंग नम्बर :– 1242/2019
सी.एन.आर.क. :– MP080100-1441-2019
संस्थित दिनांक :– 15-03-2019

परिवादी :– मेहरवान सिंह पुत्र श्री माधोसिंह रघुवंशी, आयु 70 वर्ष, निवासी–अलाउददीन का बगीचा, थाना कैन्ट, जिला गुना (म.प्र.)

प्रतिनिधित्व द्वारा :– श्री सुरेशचंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

अभियुक्त :– मनोज कुमार पुत्र श्री प्रेमसागर तिवारी, आयु 42 वर्ष, व्यवसाय–आरक्षक 619, निवासी–26बी वाहिनी एस.ए.एफ, क्वाटर नंबर 61, न्यू एस.ए.एफ. कालोनी, थाना कैन्ट, तहसील व जिला गुना (म.प्र.)

प्रतिनिधित्व द्वारा :– श्री रामपाल सिंह परमार अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	23.01.2019
आरोप–पत्र/परिवाद पत्र की तारीख	07.03.2019
अपराध की विरचना की तारीख	09.12.2019
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	28.01.2020
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	03.07.2025
निर्णय की तारीख	08.07.2025
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	उपस्थिति की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र. सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के

							दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	मनोज कुमार	09.12.2019	09.12.2019	138 परक्राम्य लिखत अधिनियम	दोषमुक्ति	—	—

परिवादी / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. परिवादी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
प.सा.1	मेहरवान सिंह रघुवंशी	परिवादी
प.सा.2	दीपक त्रिपाठी	डिप्टी मैनेजर

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.—1	मनोज तिवारी	बचाव साक्षी

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
—	निरंक	

परिवादी / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. परिवादी

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1 / प.सा.–1	चैक
2	प्रदर्श पी–2 / प.सा–1	सूचना पत्र
3	प्रदर्श पी–3 व 4 / प.सा–1	सूचना पत्र की डाक रसीद
4	प्रदर्श पी–5 व 6 / प.सा.–1	प्राप्ति अभिस्वीकृति
5	प्रदर्श पी.–7 / प.सा.–2	बैंक स्टेटमेंट
6	प्रदर्श पी.–8सी / प.सा.–2	रेफर्ड रजिस्टर की छायाप्रति

ख. प्रतिरक्षा :

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी.1 / प.सा.–1	अभियुक्त के द्वारा की गई शिकायत के संबंध में परिवादी के कथन
	प्रदर्श डी.2 / ब.सा.–2	पुलिस अधीक्षक को की गई शिकायत

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	–

घ. आवश्यक वस्तुएं :

सं.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	–	–

–:: (निर्णय) ::–

(आज दिनांक–08.07.2025 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत अपराध की विशिष्टियॉ इस आशय की हैं कि उसने परिवादी से ली गई उधार राशि

के भुगतान हेतु दिनांक 23.01.2019 को उसके भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–कलेक्ट्रेट कैन्ट, गुना का चैक राशि 3,50,000/–(तीन लाख पचास हजार रूपये) का परिवादी को दिया था, जो परिवादी द्वारा भुगतान के लिए अपने भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–कलेक्ट्रेट कैन्ट, गुना में प्रस्तुत किए जाने पर उक्त चैक दिनांक 23.01.2019 को ही खाते में ''अपर्याप्त निधि'' की टीप सहित अनादरित होकर वापिस प्राप्त हुआ, जिसकी परिवादी द्वारा विहित अवधि में सूचना दिए जाने पर अभियुक्त ने भुगतान नहीं किया।

2. परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी से अभियुक्त ने अपनी घरेलू आवश्यकता हेतु दिनांक 16.12.2018 को 3,50,000/–रूपये (अक्षरी तीन लाख पचास हजार रूपये) की मांग की थी, जिस पर परिवादी ने दिनांक 17.12.2018 को अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा– कलेक्ट्रेट कैन्ट, गुना के खाते से 3,00,000/–रूपये निकालकर एवं 50,000 /–रूपये अपने घर से मिलाकर अभियुक्त को उधार दिये थे। अभियुक्त ने उक्त राशि की अदायगी के लिये परिवादी की मांग पर दिनांक 23.01.2019 को अपनी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा– कलेक्ट्रेट कैन्ट, गुना के खाता क्रमांक 63032596472 का एक चैक क्रमांक 632509 राशि 3,50,000/–रूपये का प्रदत्त किया था। परिवादी द्वारा उक्त दिनांक को ही उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर बैंक द्वारा उक्त चैक को अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बिना भुगतान के मय मैमोरेण्डम सहित वापिस कर दिया। अनादरण की सूचना प्राप्त होने पर परिवादी ने अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 02.02.2019 को मांग सूचना पत्र अभियुक्त के निवास एवं ऑफिस के पते पर प्रेषित किया, जो दिनांक 05.02.2019 को अभियुक्त को प्राप्त हो गया था। अभियुक्त द्वारा उक्त सूचनापत्र की

जानकारी होने के पश्चात भी परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नही किया है। उपरोक्त कारण से परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध यह परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः परिवाद पत्र स्वीकार कर अभियुक्त को दुगनी राशि का जुर्माना एवं अधिक से अधिक सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. अभियुक्त के विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध की विशिष्टियॉ विरचित कर पढ़कर सुनाये–समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर प्रतिरक्षा की मॉग की और द0प्र0स0 की धारा 313 के अन्तर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्त ने बचाव साक्षी के रूप में स्वयं को परिसाक्षित कराया है।

4. **प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :–**

1– क्या अभियुक्त ने परिवादी को 3,50,000/–(तीन लाख पचास हजार रूपये) के ऋण/दायित्व के उन्मोचन के संबधं में चैक क्रमांक 632509 दिनांक 23.01.2019 प्रदत्त किया था ?

2– क्या उक्त चैक विहित वैधता अवधि में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित हुआ था ?

3– क्या परिवादी ने अनादरण की सूचना प्राप्ति से 30 दिवस की अवधि पर्यन्त लिखित मांग की सूचना का अभियुक्त पर विधिक निर्वहन किया था ?

4– क्या उपरोक्त विधिक निर्वहन के उपरांत 15 दिवस की अवधि पर्यन्त अभियुक्त द्वारा परिवादी को शोध्य राशि का भुगतान नहीं किया गया

था ?

5– दण्डादेश, यदि कोई हो, तो ?

–:: सकारण निष्कर्ष ::–

विचारणीय प्रश्न कं.–1 का निराकरण

5. प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में परिवादी मेहरवान (प.सा.–1) ने अभिकथन किया है कि परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य मित्रवत संबंध थे, जिस कारण परिवादी से अभियुक्त ने अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिये दिनांक 16.12.2018 को नगद 3,50,000/–रूपये की मांग की थी, परंतु उस दिन परिवादी के पास घर पर पूरे रूपये नहीं थे, जिस कारण परिवादी ने अपने खाते से 3,00,000/–रूपये निकालकर एवं 50,000/–रूपये अपने घर से मिलाकर नगद ऋण स्वरूप दिये थे। अभियुक्त ने उक्त राशि परिवादी को एक माह के भीतर लौटाने का वादा किया था। परिवादी ने एक माह पश्चात उक्त राशि की मांग की तो अभियुक्त ने अपने खाते कमांक 63032596472 का एक चैक कमांक 632509 प्रदर्श पी.–1 दिनांक 23.01.2019 का अपने हस्ताक्षर कर दिया था। परिवादी ने उक्त चैक को उसने भारतीय स्टेट बैंक, शाखा– कलेक्ट्रेट कैन्ट, गुना में दिनांक 23.01.2019 को प्रस्तुत किया, जो बैंक द्वारा राशि अपर्याप्त की टीप के साथ मय मेमोरेण्डम के अनादरण कर वापिस कर दिया था।

6. परिवादी मेहरवान (प.सा.–1) के अनुसार अभियुक्त ने परिवादी को उसकी घरेलू आवश्यकताओं के तहत प्राप्त किये गये ऋण के भुगतान हेतु प्रश्नगत चैक प्रदान किया था, जिस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है। प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने संबंधी परिवादी का कथन अखंडनीय रहे हैं। परकाम्य लिखत

अधिनियम 1881 की धारा 139 चैक के धारक के संबंध में यह उपधारणा करती है कि "It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in Section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability." इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत रंगप्पा विरूद्ध मोहन ए.आई.आर.2010 एस.सी.1898** में अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपलब्ध उपधारणा के खंडन के संबंध में यह प्रतिपादित किया है कि "The presumption under S.139 of Negotiable Instrument Act includes the presumption of existence of a legally enforceable debt or liability that presumption is required to be honoured and if it is not so done, the entire basis of making these provisions will be lost. It is for the accused to explain his case and defend it once the facts of the cheque bounce is prima facie established. The burden is on accused to dispute the allegations once a prima facie case is made out by complainant."

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तम राम विरूद्ध **देवेन्द्र सिंह हुडान (2019)10 एस.सी.सी. 287** के मामले में परिवादी के पक्ष में उपधारणा तथा अभियुक्त के द्वारा उक्त उपधारणा के संबंध में निम्न विधि प्रतिपादित की गई है–"Presumption mandated by S.139 does indeed include the existence of a legally enforceable debt or liability. Bare denial of passing of consideration and existence of debt, is not enough to rebut the presumption. To rebut the statutory presumption an accused is not expected to prove his defense beyond reasonable doubt as is expected from complainant in a criminal trial, rather something which is probable has to be brought on record for getting the burden of proof shifted to complainant. To disprove the presumptions, the accused should bring on record, such facts and circumstances, upon consideration of which, the court may either

believe the consideration and the debt did not exist or their non existence was so probable that a prudent man would under the circumstances of the case, act upon the plea that they did not exists. Apart from direct evidence to prove that the consideration does not exists or that he had not incurred any debt or liability, the accused may also rely upon circumstantial evidence and if the circumstances so relied upon are compelling, the burden may likewise shift again on complainant." उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के आलोक में परिवादी के पक्ष में यह उपधारणा सृजित होती है कि प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी–1 अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में विद्यमान विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रदान किया गया था।

8. अधिनियम की धारा 118 एवं 139 के अंतर्गत की गयी उपधारणायें खंडनीय प्रकृति की है। उक्त उपधारणाओं का खंडन करने के लिये अभियुक्त को प्रत्यक्ष साक्ष्य देना आवश्यक नहीं है और न ही यह आवश्यक है कि वह स्वयं कठघरे में खडा होकर साक्ष्य प्रस्तुत करे, अपितु वह परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को अधिसंभावनाओं की बहुलता तक खंडित कर सकता है। प्रकरण में मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणाओं को खंडित किया गया है अथवा नहीं ?

9. जहां तक उपधारणाओं को खंडन करने का प्रश्न है तो खंडन हेतु बचाव पक्ष को संदेह से परे के स्तर का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करना होता है, अपितु संभावनाओं की बहुल्यता की ऐसी परिस्थितियां स्थापित करना होती है, जिससे अभियुक्त की विरूद्ध की गयी उपधारणाओं का खंडन हो सके। अभियुक्त को अधिसंभाव्यताओं के प्रबलता के आधार पर यह दर्शित करना है कि उसके द्वारा प्रश्नगत चैक वैद्य ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिये परिवादी को प्रदत्त नहीं

किया गया था।

10. बचाव पक्ष की ओर से यह बचाव लिया गया है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से कोई भी राशि प्राप्त नहीं की गई थी एवं उसके द्वारा बैंक में लॉन लेने के लिये सात चैक दिये गये थे, जिसमें से बैंक के पास दो चैक नहीं हैं। उसका उसकी बटालियन के कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था, जिनसे परिवादी भी परिचित है एवं इस कारण से परिवादी ने उनके साथ मिलकर उसके चैक का दुरूपयोग किया है। उसके द्वारा उक्त संबंध में दिनांक 10.07.2023 को शिकायत की गई थी, जिसमें नगर निरीक्षक पुलिस के द्वारा परिवादी को बुलाकर उसके कथन लिये गये थे, जो प्र. डी.–1 है। परिवादी ने उसके प्रतिपरीक्षण में प्र.डी.–1 का कथन स्वयं के द्वारा दिया जाना स्वीकार किया है।

11. प्रकरण में परिवादी के द्वारा यह साक्ष्य दी गई है कि प्रश्नगत चैक अभियुक्त के द्वारा उसके दायित्व को स्वीकार करते हुये अपने हस्ताक्षर कर प्रदत्त किया गया था। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह सुझाव दिये जाने पर कि प्रश्नगत चैक परिवादी को सहायक उपनिरीक्षक एस.ए.एफ. अमरीश कुमार मिश्रा ने दिया था, परिवादी के द्वारा उक्त सुझाव से इन्कार किया गया है। अभियुक्त के द्वारा संपूर्ण विचारण के दौरान प्रश्नगत चैक पर मौजूद हस्ताक्षर को कहीं कोई चुनौती नहीं दी गई है और न ही प्रश्नगत चैक पर मौजूद हस्ताक्षर की जांच किसी विशेषज्ञ से कराये जाने के संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत किया है। अभियुक्त के द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में चैक प्र.पी.–1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर को स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में परिवादी की साक्ष्य तथा अभियुक्त की स्वीकारोक्ति से प्र.पी.–01 के प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर प्रमाणित होते

हैं।

12. जहां अभियुक्त के द्वारा प्रश्नगत चैक पर उसके हस्ताक्षर स्वीकार किये जाते हैं अथवा उसके हस्ताक्षर के संबंध में कोई विवाद नहीं है, वहां प्रकरण की परिस्थितियों में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीर सिंह विरूद्ध मुकेश कुमार ए.आई. आर. 2019 एवं एस.बीर सिंह विरूद्ध मुकेश कुमार ए.आई.आर. 2019 एस.सी. 2446सी. 2446** का मामला अवलोकनीय है, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिपादित किया गया है कि "A meaningful reading of the provisions of the Negotiable Instruments Act including, in particular, Sections 20, 87 and 139, makes it amply clear that a person who signs a cheque and makes it over to the to the payee remains liable unless he adduces evidence to rebut the presumption that the cheque had been issued for payment of a debt or in discharge of a liability. It is immaterial that the cheque may have been filled by any person other than the drawer. If the cheque is otherwise valid, the penal provisions of Section 138 would be attracted. If a signed blank cheque is voluntarily presented to a payee, towards some payment, the payee may fill up the amount and other particulars. This in itself would not invalidate the cheque. The onus would still be on the accused to prove that the cheque was not in discharge of a debt or liability by adducing evidence.

13. उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में अभियुक्त पर यह भार था कि वह प्रमाणित करे कि परिवादी के द्वारा उसके हस्ताक्षरित चैक का दुरूपयोग किया गया है। इसी प्रकार **न्यायदृष्टांत कल्याण सिंह विरूद्ध संजीव सिंह 2018 एम.पी.एल.जे 277** में यह प्रतिपादित किया गया है कि– “There is essential distinction between burden of proof and onus of proof. Burden of proof

lies upon the person who has to prove a fact and it never shifts but onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. It is settled principle of law that a person who asserts a particular fact is required to affirmatively establish it. When fraud, misrepresentation, or undue influence is alleged by a party in a suit, normally, the burden is on him to prove such fraud, undue influence or misrepresentation." उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में यह भार अभियुक्त पर है कि वह यह प्रमाणित करे कि उसके द्वारा प्रश्नगत चैक परिवादी को नहीं दिया गया था एवं परिवादी के द्वारा अभियुक्त ने जो चैक बैंक में लॉन के एवज में प्रदान किया था, उसका दुरूपयोग किया है।

14. अभियुक्त मनोज तिवारी (ब.सा.–1) द्वारा उसके न्यायालयीन कथनों में यह परिसाक्षित किया है कि उसके द्वारा वर्ष 2016 में एस.बी.आई. कलेक्ट्रेट ब्रांच से 5,00,000/–रूपये का लॉन लिया था, जिसके एवज में उसने बैंक को सात चैक दिये थे, जिनमें से छः चैक लॉन के संबंध में दिये थे एवं एक चैक लॉन के संबंध में पॉलिसी के संबंध में दिया था। उक्त चैकों का क्रमांक 632509 लगायत 632515 है। उसके घर पर एक सूचना पत्र चैक क्रमांक 632515 एवं 632509 के संबंध में उसे प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात वह दिनांक 06.02.2019 को एसबीआई शाखा कलेक्ट्रेट गुना पर गया और लॉन के एवज में जो सात चैक दिये थे, वह वापिस मांगे तब उसे मालूम पडा कि उनमें से दो चैक गायब थे। उक्त संबंध में उसके द्वारा बैंक में कई लिखित आवेदन प्रस्तुत किये एवं थाने पर जांच भी करवाई, परंतु उन दो चैकों के संबंध में बैंक ने लगातार उसे गलत जानकारी दी। उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक को की गई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो प्र.डी.–2 होकर 17 पृष्ठों में है।

15. अभियुक्त मनोज तिवारी (ब.सा.–1) द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में यह स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 05.02.2019 को परिवादी का लिखित नोटिस प्राप्त होने के पश्चात भी उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह न्यायालय में वर्तमान प्रकरण में दिनांक 09.12.2019 को उपस्थित हो गया था एवं उसने दिनांक 05.02.2019 से दिनांक 09.12.2019 के मध्य चैक कमांक 632509 की शिकायत पुलिस थाने में नहीं की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रश्नगत चैक कमांक 632515 एवं 632509 को वापिस प्राप्त करने के लिये कोई दावा उपभोक्ता फोरम में नहीं लगाया है।

16. अभियुक्त मनोज तिवारी (ब.सा.–1) द्वारा प्रस्तुत प्र.डी.–2 के दस्तावेज के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त के द्वारा बैंक से दो चैक गायब हो जाने की शिकायत पर नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला गुना को जांच उपरांत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था, जिसके अनुसार उनके द्वारा यह पाया गया था कि अभियुक्त मनोज तिवारी द्वारा बैंक में मात्र छः चैक जमा किये गये थे, जिसमें से चैक कमांक 632515 गुम हो गया था एवं जिसके संबंध में बैंक द्वारा उक्त चैक को पेमेंट हेतु रोक दिया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त प्रतिवेदन प्र.डी.–2 में यह भी उल्लेखित है कि चैक कमांक 632509 बैंक में जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट होता है कि प्र.पी.–1 के चैक कमांक 632509 को अभियुक्त के द्वारा बैंक में लॉन के एवज में जमा नहीं किया गया था।

17. अभियुक्त के द्वारा यह बचाव लिया गया है कि अभियुक्त का बटालियन के जिन लोगों के साथ विवाद चल रहा था उनके साथ परिवादी ने मिलकर

अभियुक्त द्वारा लॉन के एवज में बैंक में रखे गये चैक का दुरूपयोग करके उसके विरूद्ध असत्य प्रकरण दर्ज किया है, परंतु उक्त संबंध में अभियुक्त के द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रश्नगत चैक अभियुक्त द्वारा लॉन के एवज में बैंक में दिया गया था। इसके विपरीत अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत प्र.डी.–2 के प्रतिवेदन में नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रश्नगत चैक बैंक में जमा होना नहीं पाया गया था। तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि परिवादी के द्वारा अभियुक्त के चैक का दुरूपयोग किया गया था, तो अभियुक्त के द्वारा उसके विरूद्ध वर्तमान प्रकरण पंजीबद्ध होने के पूर्व प्रश्नगत चैक के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा न्यायालय के समक्ष परिवाद क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, इस बाबत भी कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त के द्वारा मात्र यह आधार लिया है कि उसने प्रश्नगत चैक बैंक में लॉन लेते समय दिया था, परंतु उसकी शिकायत के आधार पर की गई जांच में ही प्रश्नगत चैक बैंक के पास जमा नहीं होना पाया गया था। ऐसी स्थिति में किसी साक्ष्य के अभाव में मात्र सुझावों के आधार पर ऐसी कोई उपधारणा नहीं की जा सकती कि परिवादी ने प्रश्नगत चैक का दुरूपयोग किया है।

18. उपरोक्त परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त अभिसंभाव्यताओं की प्रबलता के आधार पर परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रदर्श पी–1 का चैक विधिक ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु परिदत्त किया जाना प्रमाणित होता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निराकरण

19. प्रस्तुत प्रश्न के संबंध में परिवादी साक्षी मेहरवान सिंह ने अभिकथन किया है कि उसने प्र.पी.–1 का चैक भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा गुना में प्रस्तुत करने पर प्र.पी.–1 का प्रश्नगत चैक दिनांक 23.01.2019 को अपर्याप्त निधि के कारण अनाद्रित हुआ था। परिवादी के द्वारा अभिलेख पर अनादरण ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण से प्र.पी.–1 के चैक का अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित होने के संबंध में उपधारणा नहीं की जा सकती है।

20. इसी संबंध में परिवादी साक्षी के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट्रेट शाखा गुना के डिप्टी मैनेजर दीपक त्रिपाठी (प.सा.–2) की साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है। उक्त साक्षी द्वारा उसके न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया गया है कि दिनांक 10.12.2024 से वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट्रेट शाखा गुना में डिप्टी मैनेजर के पद पर पदस्थ है। उसके द्वारा परिवादी मेहरवान के खाते क्रमांक 63017237503 का दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.12.2019 तक का बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है, जो प्र.पी.–7 है। उसके द्वारा चैक रेफर्ड रजिस्टर प्र.पी.–8सी भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिनांक 23.01.2019 में रिटर्न मैमो एवं चैक क्रमांक 632509 के अनादरण का उल्लेख नहीं है। साक्षी द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया गया है कि प्र.पी.–1 के चैक पर बैंक की कोई सील अंकित नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त चैक क्लीयर होने गया होता तो निश्चित रूप से उस पर सील अंकित होती।

21. इस प्रकार पूर्वोक्त विवेचना के अधीन परिवादी के द्वारा अनादरण ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किये जाने के अभाव में एवं परिवादी साक्षी दीपक त्रिपाठी (प.सा.–2) की

साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्र.पी.–1 का चैक विहित वैधता अवधि में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित हुआ था।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–03 व 04 का निराकरण

22. साक्ष्य की श्रृखंला समान होने एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिये उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

23. परिवादी मेहरवान सिंह (प.सा.–1) ने अभिकथन किया है कि चैक के अनादरण होने पर उसके द्वारा उसके अभिभाषक के माध्यम से लिखित रजिस्टर्ड सूचना पत्र प्रश्नगत चैक में वर्णित राशि की मांग के लिये दिनांक 02.12.2019 को अभियुक्त के ऑफिस एवं निवास के पते पर प्रेषित किया गया था, परंतु अभियुक्त द्वारा सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात भी परिवादी को चैक में उल्लेखित राशि अदा नहीं की गई और न ही सूचना पत्र का कोई जवाब दिया गया। परिवादी द्वारा उसके कथनों के समर्थन में उसके द्वारा प्रेषित सूचना पत्र प्रदर्श पी–2, डाक रसीद प्रदर्श पी–3 व 4, नोटिस प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्र.पी.–5 एवं 6 हैं, जिनसे परिवादी के कथनों की पुष्टि होती है।

24. अभियुक्त ने उसके अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दंप्रसं में उसे सूचना पत्र के संबंध में जानकारी नहीं होना व्यक्त किया गया है। प्रकरण में जहां तक अभियुक्त को मांग सूचना पत्र की सम्यक रूप से तामीली होने का प्रश्न है तो अभियुक्त द्वारा सूचना पत्र में उल्लेखित पते पर निवासरत नहीं रहने के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त पर मांग सूचना पत्र प्रदर्श पी–3 का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया

गया है, तथापि अभियुक्त के पक्ष में उपधारणा नहीं की जा सकती है, क्योंकि हस्तगत मामले में उपस्थिति उपरांत अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत राशि के संदाय के संदर्भ में कोई प्रस्ताव परिवादी को नहीं दिया है। **न्यायदृष्टांत C.C. Allavi Haji V. papapetty Muhammed & anr. (2007) 6 SCC 555.** में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि - "Accused can within 15 days of the recipt of the summons, May make payment of the cheque amount and pray for rejection of complaint- If accused does not make payment within 15 days of receipt of summons, he cannot contend that there was no proper service of notice required u/s 138 of the N.I. Act."

25. पूर्वोक्त विवेचना के अधीन यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के सही पते पर सूचना पत्र प्रेषित किया गया था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अभियुक्त को सूचना पत्र की जानकारी नहीं थी एवं उसे कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, मान्य किये जाने योग्य नहीं है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि परिवादी ने अनादरण की सूचना प्राप्ति से 30 दिवस की अवधि पर्यन्त लिखित मांग की सूचना पत्र का अभियुक्त पर निर्वाह किया था। परिवादी द्वारा उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उक्त सूचना पत्र की जानकारी होने के पश्चात भी परिवाद प्रस्तुति दिनांक से परिवादी से संपर्क नहीं किया गया एवं चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य विद्यमान नहीं है, जिससे दर्शित हो कि अभियुक्त द्वारा शोध्य राशि परिवादी को संदत्त एवं निविदत्त की गयी है। अतः यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा ऐसे निर्वाह के उपरांत 15 दिवस की अवधि पर्यन्त परिवादी को शोध्य राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

अतः विचारणीय प्रश्न क्र.–3 एवं 4 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक–5 का निराकरण

26. अवलोकनीय है कि विचारणीय प्रश्न कमांक 1 के निष्कर्ष अनुसार यह प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्त ने परिवादी को 3,50,000/–रूपये के ऋण/दायित्व के उन्मोचन के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक शाखा कलेक्ट्रेट गुना, का चैक कमांक 632509 दिनांक 23.01.2019 राशि 3,50,000/–रूपये का प्रदान किया था, परंतु यह प्रमाणित नहीं हो सका है कि प्रदर्श पी–1 का चैक विहित वैधता अवधि में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हुआ था। अतः तदानुसार परिवादी द्वारा अनादरण की सूचना प्राप्ति से 30 दिवस की अवधि पर्यन्त लिखित मांग का सूचना अभियुक्त पर निर्वाह किये जाने तथा ऐसे निर्वाह के उपरांत 15 दिवस की अवधि पर्यन्त अभियुक्त द्वारा परिवादी को शोध्य राशि का भुगतान न किये जाने विषयक् तथ्यों के प्रमाणीकरण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, अर्थात् उक्त तथ्य प्रमाणित होने पर भी परिवादी का संपूर्ण मामला अथवा अभियुक्त का आक्षिप्त अभियोग साबित नहीं होता है।

27. पूर्वोक्त विवेचन के अधीन अभियुक्त का दायित्व परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा–138 के अधीन दण्डनीय अपराध के संबधं में प्रमाणित नहीं पाया जाता है। फलतः **अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र श्री प्रेमसागर तिवारी, आयु 42 वर्ष, व्यवसाय–आरक्षक 619, निवासी–26बी वाहिनी एस.ए.एफ, क्वाटर नंबर 61, न्यूएसएएफ कालोनी, थाना कैन्ट, तहसील व जिला गुना (म.प्र.)** को **धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

28. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत धारा 437–अ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत प्रस्तुत बंधपत्र को छोडकर शेष जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

29. अभियुक्त के अनुसंधान, जांच, विचारण के दौरान निरोध अवधि में रहने संबंधी प्रमाणपत्र अंतर्गत धारा 428 द0प्र0स0 पृथक से तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जावे।

स्थान– गुना (म.प्र.)

दिनांक 08.07.2025

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित व घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

सही/–
(सुश्री आयुषी मित्तल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला गुना (म.प्र.)

सही/–
(सुश्री आयुषी मित्तल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला गुना (म.प्र.)

AYUSHI MITTAL

Digitally signed by AYUSHI MITTAL
Date: 2025.07.08 16:55:11 +0530